"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर 2009—अग्रहायण 6, शक 1931

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, कटघोरा, जिला-कोरबा

कटघोरा, दिनांक 23 सितम्बर 2009

प्रारूप-चार
[नियम 5(1) देखिये]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम, 1962 के नियम नियम 5 (1) देखिए]

समक्ष पंजीयक लोक न्यास एवं पब्लिक ट्रस्ट सर्वमंगला देवी मंदिर तह. कटघोरा जिला कोरबा .

क्रमांक /क/1378/अविअ/लोक. न्यास/2009.—श्री गम्भीर सिंह पिता स्व. गेंदली सिंह निवासी मुडापार तहसील पाली जिला कोरबा एवं 9 अन्य के द्वारा लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 26-10-2009 को विचार के लिए लिया जावेगा.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(ट्रस्ट का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम और पता	:	मां सर्वमंगला देवी चेरिटेबल ट्रस्ट, सर्वमंगला मंदिर.
2.	चल संपत्ति	:	निरंक
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

वी. राजू ,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2009

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2009/1838.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1190/बिलासपुर, दिनांक 23-7-09 के तहत जय भवानी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, भांडी, पंजीयन क्रमांक 3564 दिनांक 24-12-94, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री के. ए. खान, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह- / सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 21-10-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2009

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2009/1841.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/852/बिलासपुर, दिनांक 23-4-08 के तहत जे. पी. बकरी पालन एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 166 दिनांक .... विकासखण्ड .... जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमती नमिता विश्वास, स. नि. बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22-10-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2009

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2009/1842.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/378/बिलासपुर, दिनांक 15-3-07 के तहत गोरखपुर खनिज सहकारी समिति मर्यादित, गोरखपुर, पंजीयन क्रमांक 3756 दिनांक 17-09-96 विकासखण्ड पेन्ड्रा/गौरेला जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री जी. डी. जयसिंह, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पेन्ड्रा/गौरेला को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22-10-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2009

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2009/1843.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1903/बिलासपुर, दिनांक 29-9-07 के तहत विशाल प्राथमिक उपभंडार सहकारी समिति मर्यादित, शंकरनगर, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3643 दिनांक 14-03-95 विकासखण्ड ....: जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमती नमिता विश्वास, स. नि. बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22-10-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2009

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2009/1844.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/846/बिलासपुर, दिनांक 23-04-08 के तहत अग्रसर महिला बहुदेशीय सहकारी समिति मर्यादित, तिफरा, पंजीयन क्रमांक 148 दिनांक 30-12-04 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमती नमिता विश्वास, स. नि. बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22-10-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उ. ब. कांकेर

कांकेर, दिनांक 9 नवम्बर 2009

संशोधित आदेश

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/सह./09/722.— कार्यालयीन पूर्व प्रसारित निम्न सहकारी संस्थाओं के परिसमापक नियुक्ति आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के अन्तर्गत एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना-क्रमांक/एफ-7/सहकारी/2436 रायपुर दिनांक 13-06-01 द्वारा मुझमें वैष्ठित है, की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सी. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां कांकेर (छ. ग.) वर्तमान में कार्यरत श्री ए. आर. नेताम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोयलीबेड़ा (पखांजूर) को तालिका में दर्शित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा पूर्व प्रसारित परिसमापक आदेश निरस्त किये जाते हैं.

क्र. (1)	समितियों का नाम (2)	पंजीयन क्र./दिनांक (3)	रिमार्क (4)
1.	बहुउद्देशीय सह. समि. परतापुर	329/25-03-64	-
2.	----,,---- कंडमे	482/25-03-64	-
3.	बहुउद्देशीय सह. समि. कोयलीबेड़ा	428/25-03-65	-

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 09-11-09 को जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 09 नवम्बर 2009

संशोधित आदेश

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/सह./09/723.— कार्यालयीन पूर्व प्रसारित आदेश क्र./उपकां/परिसमापन/08/478 दिनांक 2-7-08 में आंशिक संशोधन करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के अन्तर्गत एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना-क्रमांक/एफ-7/सहकारी/2436 रायपुर दिनांक 13-06-01 द्वारा मुझमें वैष्ठित है, की शाक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सी. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां कांकेर (छ. ग.) वर्तमान में कार्यरत श्री के. एस. हुपेंडी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, भानुप्रतापपुर को बहु. सह. समि. मर्या., कोरर, पं. क्र.-336 दिनांक 25-03-64 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 09-11-09 को जारी किया गया.

कांकेर, दिनांक 09 नवम्बर 2009

संशोधित आदेश

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/सह./09/724.— कार्यालयीन पूर्व प्रसारित प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति मर्या., पोड़गांव, पं. क्र.-415 दिनांक 28-2-97 के परिसमापक आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के अन्तर्गत एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना-क्रमांक/एफ-7/सहकारी/2436 रायपुर दिनांक 13-06-01 द्वारा मुझमें वैष्ठित है, की शाक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सी. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां कांकेर (छ. ग.) वर्तमान में कार्यरत श्री के. एस. हुपेंडी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, भानुप्रतापपुर को उक्त समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा पूर्व प्रसारित परिसमापक आदेश निरस्त किय जाते हैं..

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 09-11-09 को जारी किया गया.

सी. एल. ध्रुव,
उप-पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.